



मुकदमा नम्बर 25/2023  
रणजीतसिंह बनाम इन्द्रसिंह  
निर्णय दिनांक 01.12.2025

## न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 25/2023

जीसीएमएस नम्बर:- 2023/41

### अनवान

- रणजीतसिंह पुत्र नाथूसिंहजी, आयु-45 साल, जाति-राजपूत, निवासी- पांचला, तहसील-सांचौर, जिला-जालोर।
- उगमकंवर पत्नी नाथूसिंह (फौत) के कायम मुकाम-  
अ- मूलसिंह पुत्र नाथूसिंहजी, उम्र-50 साल।  
ब- गणपतसिंह पुत्र नाथूसिंहजी, उम्र 40 साल।  
स- रणजीतसिंह पुत्र नाथूसिंहजी, उम्र-45 साल जातिर्यौन राजपूत, साकिनान-पांचला, तहसील सांचौर, जिला-जालोर।

### वादीगण.....

- इन्द्रसिंह पुत्र पनेसिंह।
- प्रेमसिंह पुत्र पनेसिंह।
- पारसकंवर पत्नी अर्जुनसिंह जातियान-राजपूत, साकिनान-पांचला, तहसील-सांचौर, जिला-जालोर।
- वचनाराम पुत्र भावाराम, कौम रेबारी, निवासी-वाडाभाडवी, तहसील- भीनमाल, जिला-जालोर।
- शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा-सांचौर, जिला-जालोर।
- भूमिधारी तहसीलदार-सांचौर, जिला-जालोर।

दावा बाबत बंटवाडा एवं जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,88,188  
राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

### उपस्थिति :-

- वादीगण की ओर अधिवक्ता श्री इब्राहिम शाह।
- प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 एकपक्षीय।

:-निर्णय:-

दिनांक:- 01.12.2025

- वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में दिनांक 10.02.2025 को सहरद मौजा पांचला के नवीन खसरा नम्बर 68 रकबा 1.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 69 रकबा 1.82 हैक्टर कुल रकबा 3.22 हैक्टर में वादीगण के वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्से अंश व कब्जे के अनुसार एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा प्रदर्श अ के मध्यनजर रखते हुए भूमि का बंटवाडा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार बंटवाडा किये जाने की प्राथमिक डिक्री के आदेश जारी किये गए थे। तथा तहसीलदार सांचौर से पत्रांक/कोर्ट/2025/160 दिनांक 04.03.2025 के द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार सांचौर द्वारा निर्णय की पालना में मिट्स एण्ड बाउण्डस के



सहायक कलेक्टर सांचौर  
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

आधार पर बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक/भू.अ./2025/4695 दिनांक 10.11.2025 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किया गया।

2. तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव को उपस्थित पक्षकारान को पढकर सुनाया गया । तहसीलदार सांचौर से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में वादीया संख्या 2 के कायम मुकाम 2(अ,ब,स) क्रमशः मूलसिंह, गणपतसिंह, रणजीतसिंह को वादीया उगम कंवर के फौत होने पर उक्त कायम मुकाम एवं नेवरबां पुत्री नाथूसिंह, दशरथ कंवर पुत्री नाथूसिंह को प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार खातेदार घोषित करते हुए तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच खातेदारी घोषणा एवं बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे० में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्टे० में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	मूलसिंह पुत्र नाथूसिंह हिस्सा 179/2385 नेवरबां पुत्री नाथूसिंह हिस्सा 179/2385 दशरथ कंवर पुत्री नाथूसिंह हिस्सा 179/2385 रणजीतसिंह पुत्र नाथूसिंह हिस्सा 5008/7155 गणपतसिंह पुत्र नाथूसिंह हिस्सा 536/7155 जातियान राजपुत साकिन देह रहन	68	1.40	0.6643	चाही प्रथम	लाल	15.28
				0.0512	जाव प्रथम		0.41
		कुल		0.7155		15.69	
2.	प्रेमसिंह पुत्र पनेसिंह हिस्सा 5367/12901 पारस कंवर पत्नि अर्जुनसिंह हिस्सा 5367/12901 इन्दरसिंह पुत्र पनेसिंह हिस्सा 2167/12901 साकिन देह खातेदार।	69	1.82	1.2476	चाही प्रथम	पीला	28.70
				0.0425	जाव प्रथम		0.34
		कुल		1.2901		29.04	
3.	वसनाराम पुत्र भावाराम कौम रेबारी साकिन देह खातेदार	68	1.40	0.6357	चाही प्रथम	हरा	14.62
				0.0488	जाव प्रथम		0.39
		69	1.82	0.5124	चाही प्रथम	11.78	
				0.0175	जाव प्रथम	0.14	
		कुल		1.2144		26.93	



सहायक कलेक्टर सांचौर  
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

मुकदमा नम्बर 25/2023  
रणजीतसिंह बनाम इन्द्रसिंह  
निर्णय दिनांक 01.12.2025

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।



(प्रमोद कुमार)

सहायक कलेक्टर सांचौर  
सहायक कलेक्टर सांचौर  
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

निर्णय आज दिनांक 01.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(प्रमोद कुमार)  
सहायक कलेक्टर सांचौर  
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

**डिक्री व मुकदमें इब्तादाई**  
(आर्डर 20, रूल्स 6-7, जाब्ता दीवानी)  
(civil procedure code, Appendix "D"-1)  
**अज अदालत सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर**  
पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

अनवान

- रणजीतसिंह पुत्र नाथूसिंहजी, आयु-45 साल, जाति-राजपूत, निवासी- पांचला, तहसील-सांचौर, जिला-जालोर।
- उगमकंवर पत्नी नाथूसिंह (फौत) के कायम मुकाम-  
अ-मूलसिंह पुत्र नाथूसिंहजी, उम्र-50 साल।  
ब- गणपतसिंह पुत्र नाथूसिंहजी, उम्र 40 साल।  
स- रणजीतसिंह पुत्र नाथूसिंहजी, उम्र-45 साल जातियॉन राजपूत, साकिनान-पांचला, तहसील सांचौर, जिला-जालोर।

वादीगण.....

- इन्द्रसिंह पुत्र पनेसिंह।
- प्रेमसिंह पुत्र पनेसिंह।
- पारसकंवर पत्नी अर्जुनसिंह जातियान-राजपूत, साकिनान-पांचला, तहसील-सांचौर, जिला-जालोर।
- वचनाराम पुत्र भावाराम, कौम रेबारी, निवासी-वाडाभाडवी, तहसील- भीनमाल, जिला-जालोर।
- शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा-सांचौर, जिला-जालोर।
- भूमिधारी तहसीलदार-सांचौर, जिला-जालोर।

प्रतिवादीगण.....



दावा बाबत बंटवाडा एवं जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88,188  
राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 25 / 2023


- यह मुकदमा आज इनफिसाल कर्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री इब्राहिम शाह। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 एकपक्षीय। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार सांचौर द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्ट0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	मूलसिंह पुत्र नाथूसिंह हिस्सा 179/2385	68	1.40	0.6643	चाही प्रथम	लाल	15.28
	नेवरबां पुत्री नाथूसिंह हिरसा 179/2385			0.0512	जाव प्रथम		0.41

	दशरथ कंवर पुत्री नाथूसिंह हिस्सा 179 / 2385 रणजीतसिंह पुत्र नाथूसिंह हिस्सा 5008 / 7155 गणपतसिंह पुत्र नाथूसिंह हिस्सा 536 / 7155 जातियान राजपुत साकिन देह रहन	कुल	0.7155		15.69		
2.	प्रेमसिंह पुत्र पनेसिंह हिस्सा 5367 / 12901 पारस कंवर पत्नि अर्जुनसिंह हिस्सा 5367 / 12901 इन्दरसिंह पुत्र पनेसिंह हिस्सा 2167 / 12901 साकिन देह खातेदार।	69	1.82	1.2476	चाही प्रथम	पीला	28.70
				0.0425	जाव प्रथम		0.34
		कुल		1.2901			29.04
3.	वसनाराम पुत्र भावाराम कौम रेबारी साकिन देह खातेदार	68	1.40	0.6357	चाही प्रथम	हरा	14.62
				0.0488	जाव प्रथम		0.39
		69	1.82	0.5124	चाही प्रथम		11.78
				0.0175	जाव प्रथम		0.14
		कुल		1.2144			26.93

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मीमोया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 01.12.2025 को जारी की गई

  
सहायक (प्रसाद कुमार)  
उपखण्ड कलेक्टर सांचौर

मुद्दई	रुपया	पैसा	मुद्दयलाह	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	4	00	स्टाम्प वकालतनामा	0	00
स्टाम्प वकालतनामा	2	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीशनर	0	00	फीस कमीशनर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिफ	0	00	मुतफरिफ	0	00
गौजाना	6	00	गौजाना	0	00

  
सहायक (प्रसाद कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

